

तारीख दिनांक

27.01.2026

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा के अन्तर्गत उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा के अन्तर्गत इससे सम्बन्धित मूल वादपत्र में दिनांक 12.08.2024 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। मूल वादपत्र व इस प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा दिनांक 26.09.2016 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

